

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत निम्नांकित आपूर्ति निरीक्षकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में पदस्थापित किया जाता है। एतद् संबंधी पूर्व में विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश, यदि कोई हो, तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्रमांक	आपूर्ति निरीक्षकों का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान/प्रखंड/जिला	पदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला
1	2	3	4	5
1	श्री रमण कुमार जमुआर	नवादा	अनुभाजन, पटना	चनपटिया, प० चम्पारण
2	श्री नरेश कुमार	मुंगेर	मोकामा, पटना	हुलासगंज, जहानाबाद
3	श्री गंगाधर मण्डल	धनबाद, झारखंड	रामपुर, कैमूर	सोनो, जमुई
4	श्री अरूण बिहारी लाल	पटना	गया सदर	पीरो, भोजपुर
5	श्री जगन्नाथ सिंह	राँची, झारखंड	रफीगंज, औरंगाबाद	सिकटा, प० चम्पारण
6	श्री सुनील कुमार सिन्हा	भोजपुर	साहेबगंज, मुजफ्फरपुर	कल्याणपुर, पू० चम्पारण
7	श्री रामानुज सिंह	बेगूसराय	लौरिया, पू० चम्पारण	किशनपुर, सुपौल
8	श्रीमती कृष्णा कुमारी	वैशाली	दरियापुर, सारण	पटना अनुभाजन
9	श्री रसिक मुर्मू	धूमका, झारखंड	मधवापुर, मधुबनी	सनहौला, भागलपुर
10	श्री दिनेश चन्द मांझी	गिरिडीह, झारखंड	मोहनपुर, समस्तीपुर	संग्रामपुर, मुंगेर
11	श्री अरविन्द कुमार	राँची, झारखंड	रोसड़ा, समस्तीपुर	तेघड़ा, बेगूसराय
12	श्री नरेश कुमार जायसवाल	पूर्वी चम्पारण	छातापुर, सुपौल	सिहेश्वरस्थान, मधेपुरा
13	श्री मोईज अंसारी	पूर्वी चम्पारण	मरोना, सुपौल	कुर्शाकौटा, अररिया
14	श्री नगेन्द्र चौवे	कटिहार	रानिगंज, अररिया	त्रिवेणीगंज, सुपौल

15	श्री नरेन्द्र देव	नालन्दा	कदवाँ, कटिहार	पटना अनुभाजन
16	श्री विनय कुमार केशरी	पटना	इसमाइलपुर, भागलपुर	अरवल
17	श्री चन्द्रभूषण सिंह	बेगूसराय	बांका	मधेपुरा सदर
18	श्री छोटका वासकी	देवघर, झारखंड	चाँदन, बाँका	बरबीघा, शेखपुरा
19	श्रीमती उषा किरण	पटना	नावाकोठी, बेगूसराय	मानसी, खगड़िया
20	श्री दिनेश पासवान	शेखपुरा	गढ़पुरा, बेगूसराय	काको, जहानाबाद

29/06/15
(विद्युभूषण चौधरी)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-03-01/2015 - 5000 खाद्य, पटना/दिनांक- 29.06.15
प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/संबंधित उप निदेशक (खाद्य)/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1. सभी संबंधित आपूर्ति निरीक्षक अविलम्ब अपना प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

2. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से आग्रह है कि स्थानांतरित आपूर्ति निरीक्षकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर स्थानांतरित प्रखंड/स्थान/जिला में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर दें । यदि किसी को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाया गया है तो निर्वाचन कार्य की समाप्ति के बाद तत्काल विरमित कर दें ।

3. जुलाई, 2015 का वेतन सभी आपूर्ति निरीक्षक नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।

4. किसी आपूर्ति निरीक्षक को यदि कोई कठिनाई हो तो नव पदस्थापित स्थान पर योगदान के पश्चात् ही उनका अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा

29/06/15
सरकार के उप सचिव ।